न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

...ख्या : 18/158

1. महावीर प्रसाद पांचाल आयु 36 वर्ष आत्मज नन्दकिशोर जाति लुहार निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. भंवर लाल पांचाल आयु 33 वर्ष आत्मज नन्दकिशोर जाति लुहार निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. गिरिराज भाटी आयु 37 वर्ष आत्मज श्री रोडू जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सत्यनारायण आयु 48 वर्ष आत्मज रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. कन्हैयालाल गुर्जर आयु 33 वर्ष आत्मज हीरालाल भाटी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. रामकुमार आयु 55 वर्ष आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुम्हरला तसहील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. रामलक्ष्ण नागर आयु 38 वर्ष आत्मज कालूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम छाबडियों का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. सोहन लाल पांचाल आयु 50 वर्ष आत्मज हीरालाल जाति लुहार निवासी ग्राम जजावर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जजावत द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत जजावत तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांकः 09.05.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2008 के विरूद्ध पेश की गई है ।

...रण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर कोटा ने अपने आदेश क्रमांकः ... दिनांक 08.08.2008 के द्वारा ग्राम जजावर तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 133 ... 41 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 15 बीघा भूमि ग्राम एकीकृत स्टेडियम हेतु आरक्षित रखने का ...देश पारित किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2008 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.03.2018 को उक्त भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करने के लिए कहने पर हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । आवंटित तरमीम की गई भूमि के बाबत् आवंटन आदेश में स्पष्ट अंकन नहीं किया है जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह एक बडा खसरा नम्बर है इस प्रकार आवंटन आदेश अस्पष्ट होने से मौके पर पालना किये जाने के लिये स्थानीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की स्वेच्छा चारिता पर निर्भर हो गया है । आवंटन की गई भूमि खेल मैदान हेतु उपर्युक्त नहीं है जो राजकीय विद्यालय से लगभग 04 कि0मी0 की दूरी पर है और विद्यालय के पास ही अन्य भूमि खेल मैदान के लिए उपलब्ध है । उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । राजस्व नक्शा ट्रेस में जिस स्थान पर तरमीम करके दर्शाया गया है वहॉ पर पूर्वी दक्षिणी तरफ दो हाई टेन्सन विद्युत लाईन 133 के.वी. एवं 220 के.वी.0 निकली हुई है जिनके नीचे किसी प्रकार का आयोजन एवं खेल कूद सम्पनन किया जाना जन जीवन के लिये खतरनाक है । कुछ समय पूर्व ही ग्राम छाबडियों का नयागॉव तहसील हिण्डोली में खेल मैदान से उपर निकल रही हाईटेन्सन लाईन ने ध्वज लेकर चल रहे एक खिलाडी की विद्युत करन्ट से मृत्यु हो चुकी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित

...हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 ...तीय मियाद अधिनिरयम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि ... क्षम्य किया जाता है ।

...प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि आवंटन की गई भूमि खेल मैदान हेतु उपर्युक्त नहीं है जो राजकीय विद्यालय से लगभग 04 कि0मी0 की दूरी पर है और विद्यालय के पास ही अन्य भूमि खेल मैदान के लिए उपलब्ध है । उक्त भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । राजस्व नक्शा ट्रेस में जिस स्थान पर तरमीम करके दर्शाया गया है वहॉ पर पूर्वी दक्षिणी तरफ दो हाई टेन्सन विद्युत लाईन 133 के.वी. एवं 220 के.वी. निकली हुई है जिनके नीचे किसी प्रकार का आयोजन एवं खेल कूद सम्पन किया जाना जन जीवन के लिये खतरनाक है । कुछ समय पूर्व ही ग्राम छाबडियों का नयागॉव तहसील हिण्डोली में खेल मैदान से उपर निकल रही हाईटेन्सन लाईन ने ध्वज लेकर चल रहे एक खिलाडी की विद्युत करन्ट से मृत्यु हो चुकी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए खेल मैदान की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा